

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

पत्रांक:- /मु0 अ0(अनु0)/अनिम-5/

लखनऊ: दिनांक : 05 दिसम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

संज्ञान में आया है कि कतिपय कुछ स्थानों पर सिल्ट सफाई नहीं हो रही है अथवा गुणवत्ता परक नहीं हो रही है।

अतः एतद्वारा आदेश निर्गत किये जाते हैं कि अधिशासी अभियन्ता सिल्ट सफाई के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर प्राविधानित मानकों के अनुरूप शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही सिल्ट सफाई हेतु गठित सत्यापन टीमों एवं अन्य विभिन्न स्तर पर गठित टीमों की सत्यापन रिपोर्ट में इंगित कमियों का पूर्णतः निराकरण कराने के उपरान्त ही भुगतान करना सुनिश्चित करें।

भूपेन्द्र शर्मा

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

पत्रांक: 944/मु0 अ0(अनु0)/अनिम-5/तादिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।
- ✓ 2. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0.....।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2, ()सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,() को इस आशय से प्रेषित है कि अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय अधिकारियों को उपरोक्तानुसार निर्देशित करने का कष्ट करे।

(भूपेन्द्र शर्मा)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष